

जिला विधिक सेवा प्राधिकार, व्यवहार न्यायालय, कोडरमा

सूचना

36 पारा लीगल वोलेंटियर के प्रशिक्षण हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक स्थानीय अभ्यर्थियों से निप्राकित फॉर्म में स्व-हस्तालिखित/टंकित प्रारूप में आवेदन दें। अधिवक्ता पारा लीगल वोलेंटियर्स के लिए योग्य नहीं है।

पारा लीगल वोलेंटियर हेतु निम्नलिखित योग्यताएं वांछित हैं—

1. अभ्यर्थी साक्षर हो परंतु वैसे अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी जो मैट्रिक तथा उससे उच्चतर योग्यता रखते हैं तथा उनमें समझने एवं समझाने की क्षमता हो। शिक्षक/सेवा निवृत लोकसेवक/वरिष्ठ नागरिक/एम० एस० डब्ल्यू छात्र/आंगनवाड़ी सेविका/चिकित्सक/ छात्र विधि छात्र (जो अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत नहीं है) /गैर-राजनीतिक संगठन / एन० जी० ओ०/ कलब/ मार्जिनलाज़्ज ग्रुप के सदस्य/महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य / शिक्षित सजायाप्ता कैदी जिनका आचरण अच्छा हो/ कोई अन्य व्यक्ति जिन्हे DLSA (डालसा) द्वारा पारा लीगल वोलेंटियर के पद पर सुयोग्य हो।
2. वैसे अभ्यर्थियों को भी प्राथमिकता दी जाएगी जो पारा लीगल वोलेंटियर के कार्य को आर्थिक आय का श्रोत नहीं समझेंगे।

आवेदन कैसे करें

1. आवेदन निर्विधित डाक या हाथों-हाथ दोनों माध्यम से स्वीकार किया जायेगा। लिफाफे के ऊपर स्पष्ट अक्षरों में “पारा लीगल वोलेंटियर के लिए आवेदन” लिखा होना चाहिए।
2. आवेदन स्व-हस्तालिखित या टंकित प्रारूप में ही स्वीकार किये जाएंगे।
3. अपना दो अद्यतन पासपोर्ट साईज़ फोटो आवेदन के साथ समर्पित करें।
4. आवेदन निम्न पते पर भेजें:-

अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, व्यवहार न्यायालय, कोडरमा। पिन: 825410

आवेदन की अंतिम तिथि: 17.09.2024 समय अपराह्न 4:30 तक होगी।

आवेदन का प्रारूप

1. नाम:—
2. पिता/पति का नाम:—
3. जन्मतिथि:—
4. लिंग:—
5. राष्ट्रीयता:—
6. स्थायी पता:—

यहाँ पर अपना अद्यतन पासपोर्ट साईज स्वहस्ताक्षरित फोटो चिपकाएं।

7. पत्राचार का पता (दूरभाष सं० के साथ):—
 8. ई-मेल (यदि हो):—
 9. शैक्षणिक योग्यता:—
(शैक्षणिक योग्यता से संबंधित दस्तावेजों की स्वअभिप्राप्ति छायाप्रति अवश्य संलग्न करें।)
 10. विशेष योग्यता (यदि हो):—
 11. कोटि (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ा वर्ग/सामान्य):—
 12. पंचायत का नाम (जहाँ कार्य करने हेतु इच्छुक है)।
- नोट:— उपरोक्त आवेदन पारा लीगल वोलेंटियर के प्रशिक्षण के लिए है न कि नियोजन कि लिए। पी०एल०वी० का कार्य पूरी तरह से अस्थायी है। समय समय पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (SLSA) द्वारा निर्धारित मानदेय के आलावा कोई वेतन, पारिश्रमिक या मजदूरी देय नहीं होगा।

दिनांक:—

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

स्थान:—